न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, अम्बेडकर नगर

UPAN010007272026

Bail Application/183/2026

आदिल अहमद आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र सईद अहमद निवासी ग्राम–सकरा यूसुफपुर थान–सम्मनपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर।

————————————————————**अभियुक्त**

बनाम

उ0प्र0 सरकार ————————————————————————————**अभियोजन पक्ष**

मु0अ0सं0–07 / 2026
धारा–115(2),333,351(3)352,109(1)बी.एन.एस.
थाना–सम्मनपुर, जिला–अम्बेडकर नगर।

09.03.2026

प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी०एन०एस०एस० के अधीन आवेदक / अभियुक्त आदिल अहम की ओर से मु०अ०सं०–07 / 2026 अन्तर्गत धारा–115(2), 333, 351(3), 352, 109(1) बी०एन०एस० थाना–सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक / अभियुक्त द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 07.01.2026 को समय 11.33 बजे वादिनी मुकदमा रानी खातून द्वारा थाना सम्मनपुर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 06.1.2026 को समय लगभग 7.00 बजे शाम को उसके पडोसी अदिल अहमद उसके घर के सहन दरवाजे के सामन कचरा फेक रहा था, तो उसने मना किया। इसी बात को लेकर अदिल अहम्मद, इरम खातून, अबूजर व करम अहमद ने उसे लाठी डन्डे व रॉड से मारा पीटा। बीच बचाव के लिये जब उसका पुत्र अदन्ना व उसके पति साजित आये, तो विपक्षीगण उनके ऊपर हमला करते हुए घर के अन्दर घुस आये और बुरी तरह से उन्हें भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुऐ भाग गये। वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध मु०अ०सं०–07 / 2026, अन्तर्गत धारा– 333, 115(2) व 351(3) बी०एन०एस० के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। दौरान विवेचना धारा 109(1) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी।

आवेदक / अभियुक्त ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। विवेचक द्वारा 118(1) बी0एन0एस0 के स्थान पर 109 बी0एन0एस0 की बढोत्तरी करके प्रार्थी / अभियुक्त को नाजायज तौर से गिरफ्तार करवाकर जेल भेजवाना चाहते है। जबकि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। मामले में थाना सम्मनपुर की पुलिस द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया था, जिनकी रेगुलर जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा दिनांकः 06.02.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा कोई मारपीट या कोई अपराध नहीं किया गया है, वह अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है, बाद जमानत व अग्रिम जमानत का कत्तई दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी / अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & Ors. SLP (Crl) No. 5191 of 2021** में उद्धृत सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया। अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक / अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर उसे, उसके पुत्र व उसके पति को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुये मारा पीटा, जिससे उन्हें चोटें आयी। पत्रावली पर उपलब्ध आहतगण के आघात प्रतिवेदन व एक्स–रे रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आहता रानी खातून के शरीर पर कुल छः चोटें आना दर्शित की गयी है, जिसमें चोट सं०–2 कटे घाव की 01 से.मी. गुणा 0.5 से.मी. सिर के दाहिने तरफ अग्रभाग पर मांस तक गहरा व चोट नं०–1, 3,4,6 व 7 ललिमायुक्त नीलगू निशान आना दर्शित है तथा आहत मो०

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.10 12:29:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अदनान के शरीर पर कुल चार चोटें आना दर्शित है, जिनमें चोट नं०–1 फटा घाव 1.5से.मी. गुणा 0.5से.मी. चेहरे के बाये तरफ एवं चोट नं०–2, 3 व 6 लालिमायुक्त नीलगू निशान आना दर्शित है तथा एक्स–रे रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर होना दर्शित नहीं है। सम्बन्धित चिकित्सक के अनुसार आहतगण को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है और एक दिन पुरानी है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना मै पाता हूँ कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आदिल अहमद की ओर से मु०अ०सं०–07/2026 अन्तर्गत धारा–115(2), 333, 351(3), 352, 109(1) बी०एन०एस० थाना–सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में प्रस्तुत **अग्रिम जमानत** प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तारी की दशा में मु०–50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत वन्ध–पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू लेकर निम्नलिखित शर्तो के अधीन छोड़ दिया जाय।

1. आवेदक/अभियुक्त प्रकरण की विवेचना में तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने के उपरान्त विचारण में पूर्ण रुप से सहयोग करेगा, अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं प्रस्तुत करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर समक्ष न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार से न तो डरायेगी न ही धमकायेगा और किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में विचारण न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनांकः 09.03.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1,
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी.6067